नम्बर अहकाम हुक्म जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दीवानी नं० – 32/2018	

3/1

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। पत्रावली में वकील प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रा0प0 अ0धा0 10 सीपीसी पर बहस उभय पक्ष सुनी जा चुकी है तथा पत्रावली प्रा0प0 अ0धा0 10 सीपीसी के आदेश हेतु आज नियत है।

प्रतिवादीगण न. 1 ल0 6 एवं 8 ल0 12 की ओर से प्रा0प0 अ0धा0 10 सी.पी.सी. एवं 151 सी.पी.सी. का इस आश्य का पेश किया गया कि हस्तगत दावा में विवादित भूमि खसरा नम्बर 1089, 1090, 1091, 1092 एवं 1093 कस्बा झुंझुनू में स्थित है। जिसके खातेदार काश्तकार अख्तर अली हिस्सा 8487/51370, खादिम हुसैन पुत्र जाबदी खा हिस्सा 1443/25685 जाति कायमखानी, जैतून पत्नी रज्जाक भाटी हिस्सा 19/467, जावेद पुत्र जुम्मा खां हिस्सा 4018/25685 मुजमिल पुत्र जाफर अली हिस्सा 2106/25685, मुर्सरत बानों पत्नी मंजूर खां हिस्सा 19/467, मोहम्मद रफीक पुत्र जावदी खां हिस्सा 695/ 5137, रुखसाना पत्नी स्व. मोहम्मद आमीन हिससा 625/ 5137, मु0 राबिया पत्नी शब्बीर खां हिस्सा 19/ 467, साकिरा बानो पत्नी अख्तर अली हिस 2979/ 51370 दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त वर्णित भूमि के खातेदार मोहम्मद रफीक पुत्र जाबदी खां ने उक्त दावा खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञाके लिये श्रीमान एस.डीए.ओ. साहब झुंझुनू के न्यायालय में पेश किया जो उनवानी मो0 रफीक बनाम अख्तर अली आदि हैं जिसके मुकदमा न0 168/17 है, जो दिनांक 29.11.2017 को पेश हुआ, जो बाद में श्रीमान एस.डी.ओ. साहब चिड़ावा के न्यायालय में न्यायाकुल निस्तारण हेतु स्थानान्तरित फरमा दिया गया जो श्रीमान एस.डी.ओ. साहब चिड़ावा के न्यायालय में लम्बित है।इस मुकदमे में प्रतिवादी गण न. 1 ल0 12दर्ज किये गये हैं जो निम्न प्रकार है:–

1. अख्तर अली पुत्र हाजी जुम्मा खां
2. जावेद अली पुत्र हाजी जुम्मा खां
3. श्रीमती शकीरा बानो पत्नी अख्तर अली
4. जैतून पत्नी रज्जाक भाटी
5. रुबिया पत्नी शब्बीर भाटी
6. मुसर्रत बानो पत्नी मंजूर खां
7. मोहम्मद अयूब [illegible]
8. मुजलिम पुत्र जाफर अली
9. खादिम पुत्र स्व. जयाब्दी उर्फ जावदी खां
10. रुकसाना बानो पत्नी मोहम्मद आमीन
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार झुंझुनू
12. नगरपरिषद झुंझुनू जरिये आयुक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त प्रकरण में कार्यवाही चिड़ावा न्यायालय में अभी तक लम्बित है। तत्पश्चात वादी अब्दूल शमीम ने उन्हीं खसरा नम्बरान बाबत हस्तगत दावा श्रीमान एस.डी.ओ.साहब झुंझुनू के न्यायालय में भी पेश

		हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...तिवादीगण 1 ल0 ... प्रस्तुत ...उनवानी ...जिसका ...किया ...वर्णित ...ा न0 ...ादित ...तथा ...पत्र ...दुल ...दुल ...रम ...ने ...0			

फोर्स नहीं होने व धारा 10 सीपीसी के प्रावधान लागू नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया तथा जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन किया कि महज प्रकरण में देरी करने के आशय से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। वादी अब्दूल शमीम द्वारा प्रस्तुत उक्त वाद पत्र में वादी के हक व अधिकार तय होते हैं उक्त प्रतिवादीगण भू माफिया किस्म के व्यक्ति हैं वादी के हिस्से के खेत पर जबरन कब्जा कर मौके पर भूखण्डों के रुप में अवैध रुप से प्लाटिंग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र 10 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र 10सीपीसी पर वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई जिसमें उभय पक्ष द्वारा अपने कथनों को दोहराया गया। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण द्वारा निम्न नजीरें प्रस्तुत की गईः–

1. Madras High court – M.Dhanasekaran vs S.Krishnan on 6 jan 2016
2. Kerala High court – V.P.Vrinda vs Indira Devi And Ors. On 20 jan 1994
3. 2016 (3) DNJ (Raj) 1199- Rampal vs. Sub Divisional Officer Sujangarh
4. 2014 (1) DNJ (Raj) 302 – Gopikishan vs. Ramlal & Ors.

वकील वादी की ओर से निम्नलिखित नजीरें प्रस्तुत की गई :–

1. DNJ (Raj.)2005(1)Page No. 511-513 – Ramotar & Ors. vs. Addl. Dist.Judge
2. 2015(1)DNJ (Raj) Page No.181-183 –Vinod Kumar & Ors. vs. Radheyshyam Khemka & Sons HUF

वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण की ओर से न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चिड़ावा में विचाराधीन मुकदमा न0 73/19 उनवानी मो0 रफीक बनाम अख्तर अली वगै0 की आदेशिका व वाद पत्र की सत्यप्रतिलिपि पेश की गई।

वरवक्त बहस प्रस्तुत किये गये न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया :–

1- Madras High court – M.Dhanasekaran vs S.Krishnan on 6 jan 2016 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Though, it is stated in section 10 CPC, when the metter in issue is directly and substantially in issue in the previously instituted suit, the latter suit has to be stayed, the object behind Section 10 CPC, is to prevent the Courts of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel suits in respect of the same matter in issue. In this case, admittedly, O.S.No.436 of 2000 was

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

reversed in First Appeal. Therefore, the latter suit cannot be stayed, as the latter suit has already been disposed of."

2- Kerala High court – V.P.Vrinda vs Indira Devi And Ors. On 20 jan 1994 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Here there is no dispute that the subject matter in both the suits are the same. Except that in O.S 811 of 1993 the husband of the petitioner also is made a party, the parties in both the suits also are the same. For the purpose of the operation of **Section 10, C.P.C**, it is not necessary that all the parties on either side should be the same in both the suits; it is enough if there is a substantial identity of the parties. From the averments in the affidavit, it is clear that there is substantial identity of the parties in both suits.

3. DNJ (Raj.)2005(1)Page No. 511-513 – Ramotar & Ors. vs. Addl. Dist.Judge में प्रतिपादित किया गया है कि '' विचारण न्यायालय ने धारा 10 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय विचारित किया कि वाद प्रगति पर है तथा वादी का साक्ष्य पूरा नहीं हुआ– कई अवसर दिये जाने के बावजून उन्होने साक्ष्य पेश नहीं किया तथा मामले में देरी के लिये धारा 10 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया– पक्षकार एक समान नहीं है तथा वादों की विषय–वस्तु भी एक समान नहीं है–सारभूत विवाद्यक भी एक समान नहीं है–निर्णित, विचारण न्यायालय ने प्रार्थियों द्वारा धारा 10 के अन्तर्गत दायर प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करके सही किया। ''

4. 2015(1)DNJ (Raj) Page No.181-183 –Vinod Kumar & Ors. vs. Radheyshyam Khemka & Sons HUF में प्रतिपादित किया गया है कि '' पश्चातवर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित करने हेतु प्रार्थना पत्र–विचारण न्यायालय ने दोनों वादों को समेकित करने का [illegible] वाद 'जी' द्वारा विभागजन हेतु 4.7.2013 [illegible] किया तथा अन्य वाद 'आर' हिन्दू [illegible] जन हेतु 17.2.2014 को पेश किया– [illegible] में पक्षकार समान है लेकिन विवादित विषय भिन्न थे– [illegible]श्चातवर्ती वाद में मांगा गया अनुतोष पूर्व वाद में स्वीकार नहीं किया जा सकता– निर्णित, याचिका में सार नहीं है व खारिज की। ''

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

5- 2016 (3) DNJ (Raj) 1199- Rampal vs. Sub Divisional Officer Sujangarh में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि '' वाद का स्थगन– रेस्पोंडेन्ट सं. 2 ने राजस्व न्यायालय के समक्ष घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा व राजस्व रिकार्ड में शुद्धि हेतु [illegible]

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पेश किया –राजस्व वाद के विचाराधीन याची ने खातेदारी अधिकारों की घोषणा और विक्रय पत्र को अकृत व शून्य घोषित करने हेतु वाद पेश किया–प्रार्थना पत्र खारिज किया।''

6- 2014 (1) DNJ (Raj) 302 – Gopikishan vs. Ramlal & Ors. में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि '' वाद का स्थगन– धारा 10 के अन्तर्गत आवेदन स्वीकार किया और वाद सं. 113/ 2007 के निस्तारण तक कार्यवाही स्थगित की–दोनों वादों का आमेलन हेतु याची को आवेदन पेश करना आवश्यक है–आदेश को रद्द करने हेतु इस याचिका में आदेश पारित नहीं किया जा सकता–निर्णित।''

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा धारा 10 सी.पी.सी. के प्रावधानाओं पर गौर किया। धारा 10 सी.पी.सी. में वर्णित है कि –

''10. वाद का रोक दिया जाना – कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य–विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन है वे या उनमें से कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य है, आगे कार्यवाही नहीं करेगा.........''

धारा 10 सीपीसी के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु तीन बिन्दूओं का विवेचन किया जाना उचित होगा–

1. क्या पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद में विवाद्य–विषय वस्तु समान है।
2. क्या दोनों वादों में पक्षकारों का संयोजन समान रुप से किया गया है।
3. क्या पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती वाद इसी/समान न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

➢ इस न्यायालय में विचाराधीन [illegible] मुकदमा नं0 32/2018 उनवानी [illegible] में विवाद्य विषय वस्तु [illegible] 1091,1092 एवं 1093 वाके कस्बा झुंझुनू में स्थित है। [illegible] प्रकार न्यायालय एसडीओ चिड़ावा के पास विचाराधीन मु0न0 73/2019 (जो इस न्यायालय में पूर्ववर्त मु0न0 168/17 दर्ज होकर स्थानान्तरित हुआ है) उनवानी मो0 रफीक बनाम अख्तर अली वगै0 है जिसमें विवाद्य–विषय वस्तु कस्बा झुंझुनू स्थित आराजी ख0न0 1089, 1090, 1091, 1092 एवं 1093 है। अतः उक्त विश्लेषण से साफ जाहिर है कि पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	➤ इस न्यायालय में विचाराधीन पश्चातवर्ती मुकदमा न 32/2018 उनवानी अब्दुल शमीम बनाम सकीरा बानो एव न्यायालय एसडीओ चिड़ावा के पास विचाराधीन मु0न0 73/2019 (जो इस न्यायालय में पूर्ववर्त मु0न0 168/17 दर्ज होकर स्थानान्तरित हुआ है) उनवानी मो0 रफीक बनाम अख्तर अली वगै0 में संयोजित पक्षकारों के अवलोकन से जाहिर है कि पूर्ववर्त मु0न0 168/17 (73/19) में कुल 13 पक्षकार जबकि पश्चातवर्ती वाद मु0न0 32/18 में कुल 16 पक्षकार है जिसमें वादी अब्दुल शमीम एवं प्रतिवादिया न0 6 शबनम बानो एवं प्रतिवादी न0 15 उप पंजीयक झुंझुनू को अतिरिक्त सम्मिलित किया गया है, अन्य समस्त पक्षकार समान हैं। पश्चातवर्ती वाद में सम्मिलित इन 3 अतिरिक्त पक्षकारों का विवेचन करने पर पाया गया है कि वादी द्वारा प्रतिवादिया सकीरा बानों से सम्पर्ण हिस्सा 0.2979 है0 भूमि दिनांक 5.12.2017 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के क्रय किया गया है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2073–2076 के अवलोकन से जाहिर है कि उक्त क्रेता/ वादी जमाबन्दी में खातेदार के रुप में दर्ज नहीं है। प्रतिवादिया न0 6 शबनम बानों द्वारा पूर्व में स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा अपने पुत्र–पुत्रियों के हिस्से के साथ ही विक्रय किया जा चुका है जिसका अंकन जमाबन्दी में दर्ज है जबकि वाद में शबनम बानों के पुत्र, पुत्रियों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रतिवादी न0 15 उप पंजीयक को प्रोफॉर्मा पक्षकार बनाया गया है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टान्त माननीय उच्च न्यायालय, जम्मु एवं कश्मीर उनवानी लालदीन बनाम सुलेमान का भी अवलोकन पृथक से किया गया जिसमें निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं–"Same parties" within the meaning of S. 10, C.P.C contemplates same effective parties who seek reliefs or against whom reliefs are sought. If some persons are added as nominal or pro forma parties in the subsequent suit, that fact will not detract from the fact that the parties are essentially the same in both the suits. It also means the parties as between whom the matter substantially in issue has arisen and has to be decided. Complete identity of either the subject matter or the parties is not required. In AIR 1972 Cal 128, it has been held that it is enough if there is a subs

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

the parties and the existence of an additional party in the suit subsequently filed does not by itself make S. 10 inapplicable. In an authority of this Court reported as **1964 Kash LJ 82** : (AIR 1964 J & K 65), it has been held that it is not necessary that the parties should be the same and if there are parties common to the litigation between whom substantially the matter in subsequent suit, as the matter in dispute in previously instituted suit, the suit should be stayed."

Kerala High court – V.P.Vrinda vs Indira Devi And Ors. On 20 jan 1994 के न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "Here there is no dispute that the subject matter in both the suits are the same. Except that in O.S 811 of 1993 the husband of the petitioner also is made a party, the parties in both the suits also are the same. For the purpose of the operation of **Section 10, C.P.C,** it is not necessary that all the parties on either side should be the same in both the suits; it is enough if there is a substantial identity of the parties. From the averments in the affidavit, it is clear that there is substantial identity of the parties in both suits.

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से कृषि भूमि क्रय करने मात्र एवं पूर्व खातेदार को प्रोफॉर्मा पक्षकार बनाये जाने के कारण मात्र से यह नहीं माना जा सकता कि पक्षकार पृथक–पृथक है, क्योंकि भूमि विक्रेता खातेदार पूर्व वाद में पक्षकार के रुप में संयोजित है व भूमि पर उसके हक–हिस्से की घोषणा उपरान्त ही उक्त क्रेता वादी [illegible] निर्धारण होना है। उक्त विश्लेषण एवं न्यायि[illegible] के प्रकाश में स्पष्ट परीलक्षित होता [illegible] वादों में पक्षकार समान [illegible] वादी पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार बनने के लिए पृथक से प्र[illegible] पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested

➢ इस न्यायालय में विचाराधीन पश्चातवर्ती मुकदमा न0 32/2018 उनवानी अब्दुल शमीम बनाम सकीरा बानो एवं न्यायालय एसडीओ चिड़ावा के पास विचाराधीन मु0न0 73/2019 (जो इस न्यायालय में पूर्ववर्त मु0न0 168/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	दर्ज होकर स्थानान्तरित हुआ है) उनवानी मो0 रफीक बनाम अख्तर अली वगै0 दोनों वाद पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं जिनके श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में ही निहित है। उक्त विवेचन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त दोनों वाद पत्रों में विवाद्य–विषय समान है, जिनमें पक्षकार भी समान रुप से संयोजित है, वांछित सिद्वियां/ अनुतोष भी समान है तथा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में है। अतः प्रार्थी/प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अ0धा0 10 सीपीसी व 151 सीपीसी को स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय में विचाराधीन इस पश्चावर्ती वाद पत्र मु0न0 32/2018 उनवानी अब्दुल शमीम बनाम सकीरा बानो में आगामी कार्यवाही स्थगित की जाती है। वादी पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार बनने के लिए पृथक से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर रहे। (शैलेश खैरवा) उप खण्ड अधिकारी, झुंझुनू उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Shailesh Khairva
Date: 2021.12.23 12:23:13 IST
Reason: SelfAttested